



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकला

दिनांक – 11.04.2025

**थाना शिवालाकला पुलिस ने मु0अ0सं0 47/25 धारा 109(1)/115(2)/117(2)/118(1)/130/191(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.04.2025 को वादिया ने थाना शिवालाकला पर तहरीर दी कि खेत पर कार्य करते समय 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के पति अनिल एवं वादिया के साथ मारपीट की । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकला पर मु0अ0सं0 47/25 धारा 109(1)/115(2)/117(2)/118(1)/130/191(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.ललित पुत्र हरवीर निवासी ग्राम तगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.जीतू पुत्र हरिओम निवासी ग्राम खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3.हेनू पुत्र कलुवा निवासी नाहर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 4.हर्ष निवासी ग्राम टण्डेरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 5.शेरा निवासी खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



### कार्यवाही –

थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ललित पुत्र हरवीर निवासी ग्राम तगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डन्डा व एक सरिया सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ललित पुत्र हरवीर निवासी ग्राम तगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डन्डा व एक सरिया

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 14/24 धारा 147,148,307,323,504,506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 197/24 धारा 147,452,336,504,506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 426/24 धारा 317(5) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 47/25 धारा 109(1),115(2),117(2),118(1),130,191(2),351(3) बीएनएस थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थाना प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री अजित सिंह थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 3.मुख्य आरक्षी सचिन राठी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 4.आरक्षी प्रवीण मौर्य थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 11.04.2025

**थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 130/2025 धारा 137(2)/70(2)बीएनएस व 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.04.2025 को वादी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.नितिन पुत्र विनोद 2.शुभम पुत्र मनोज निवासीगण मौ0 गुजरातियाण व 3.नारायण पुत्र जनरैल निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की 11 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गयी । इस सम्बन्ध मे थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 130/2025 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम नितिन आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग से धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम का लोप कर धारा 137(2)/70(2) बीएनएस व 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 10.04.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.नितिन पुत्र विनोद 2.शुभम पुत्र मनोज निवासीगण मौ0 गुजरातियाण व 3.नारायण पुत्र जनरैल निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.नितिन पुत्र विनोद निवासी मौ0 गुजरातियाण कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.शुभम पुत्र मनोज निवासी मौ0 गुजरातियाण कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.नारायण पुत्र जनरैल निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री कुलभूषण थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. हे0कां0 133 राहुल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5. कां0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
6. कां0 1045 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 11.04.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 56/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.03.2025 को वादिया द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अंकित पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत काम किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 56/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

अंकित कुमार पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली टीम –

उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर  
हे0का0 618 सन्नीराज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर